



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना सैया जनपद आगरा।

दिनांक 22.05.2022

एसओजी, स्वाट, सर्विलांस, सीआईडब्ल्यू व थाना सैया के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा थाना क्षेत्र में व्यापारी द्वारा अपने अपहरण की स्वयं फर्जी योजना बनाकर गायब होने वाली घटना में सर्राफा व्यापारी को किया गया बरामद...

दिनांक 20.05.2022 को वादी विनोद वर्मा द्वारा थाना सैया पर सूचना दी गयी कि मेरे भाई छदामी लाल वर्मा आज शाम को गाँव बृथला से आगरा के लिए निकला था एवं गांव से निकलते समय वह पहले पदमापुरा कुछ तगादे के लिए गया था। वहाँ से आगरा के लिए अपनी मोटरसाइकिल से आगरा निकले। कुछ समय बाद मेरे बड़े भाई थानसिंह वर्मा पर भाई छदामी लाल वर्मा की कॉल अपने मोबाइल से आयी और कहने लगे कि मुझे कटी पुल पर पकड़ लिया है, तू अभी आ जा। इतना कहते हुए उनके रोने की आवाज आ रही थी और फोन कट गया। फोन कटने के बाद दोबारा कॉल की गयी तो उनका फोन बन्द था। मेरे भाई थान सिंह बृथला से घटना वाले स्थान कटीपुल पर पहुंचे और तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करने पर उनकी मोटरसाइकिल कटी पुल के नीचे पड़ी मिली व वहीं उनका हेलमेट व एक जूता पड़ा मिला एवं कुछ दूर दूसरा जूता व बैग मिला, जिसमे दुकान का सामान रखते थे। बैग में से कुछ कुछ पेपर वहीं पड़े मिले। इस सम्बन्ध में थाना सैया पर मु0अ0सं 100/22 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त सनसनीखेज घटना की सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा तत्काल घटनास्थल का मुआयना किया गया एवं घटना के सफल अनावरण एवं गायब हुए व्यापारी की बरामदगी हेतु, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी खैरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में थाना सैया सहित कुल 06 टीमों का गठन करते हुए गठित टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 22.05.2022 को गठित पुलिस टीम द्वारा व्यापारी की तलाश हेतु लगातार तलाश की जा रही थी। लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी, मुखबिर, अन्य विभागों से समन्वय, सर्विलांस आदि सूचना के विभिन्न माध्यमों द्वारा पुलिस टीम द्वारा गायब हुए व्यापारी को सकुशल बागेश्वर मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश से बरामद कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे ऊपर विभिन्न लोगों का लगभग 30 से 35 लाख रूपयों का कर्ज हो गया था एवं मैं काफी दिनों से उलझन में था कि कर्जा कैसे चुकाया जाये। मेरा व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल रहा था इसलिए मैंने स्वयं के अपहरण की योजना बनायी। मैंने अपनी मोटर साइकिल होण्डा साइन, हेलमेट, जूता व हैण्ड बैग जिसमें कुछ कागज थे,

को सैया कटीपुल के नीचे एन0एच0 03 रेलवे लाइन के पास छोड़ दिया और अपने मोबाइल से अपने भाई थान सिंह के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि मुझे कुछ बदमाश पकड़ कर ले जा रहे हैं। मैंने कुछ घण्टों के बाद बदमाश बनकर मोबाइल से अपने भाई विनोद के मोबाइल नम्बर पर मैसेज किया कि "तेरा आदमी हमारे पास है हम तेरे पास लोकेशन भेज देंगे 50 लाख के साथ बात भी करायेंगे। हमने इसको इतना मारा है अभी होश में नहीं है, हाथ तोड़ दिया है। पुलिस को बताया तो हम तेरे आदमी को गोली मार देंगे" का मैसेज करके मैं ट्रकों व बसों में बैठकर लम्बा निकल गया था। मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मैं पुलिस को चकमा देने के लिये अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखता था और बीच-बीच में खोल लेता था। साहब गलती हो गयी। मैंने अपने आपको छिपाने के लिये झूठी सूचना दी थी।

तथाकथित अपहृत छदामी लाल वर्मा एक शातिर किस्म का व्यक्ति है, जिसके द्वारा पुलिस को झूठी सूचना देकर अपने ऊपर कर्ज को न चुकाना पड़े। जिनका उधारी का पैसा है, उनको धोखा देने के लिए इसके द्वारा यह कृत्य किया गया है।

इस सम्बन्ध में अपहृत के विरुद्ध मु0अ0सं0 101/22 धारा 420/384/203/182 भादवि में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

फर्जी अपहृत का विवरण :-

01. छदामी लाल वर्मा विशम्बर दयाल वर्मा नि0 बृथला थाना सैया जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :-

01. निरीक्षक श्री विनोद कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद आगरा।
02. निरीक्षक श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी टीम जनपद आगरा।
03. थानाध्यक्ष श्री योगेन्द्र पाल सिंह थाना सैया जनपद आगरा।
04. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार मय टीम प्रभारी सीआईडब्ल्यू जनपद आगरा।
05. उ0नि0 श्री सचिन धामा मय टीम प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद आगरा।
06. उ0नि0 श्री अजय कुमार स्वाट टीम जनपद आगरा।
07. व0उ0नि0 श्री रामचन्द्र अरुण थाना सैया जनपद आगरा।
08. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री दुलीचन्द्र यादव, उ0नि0 श्री मोहित शर्मा, उ0नि0 श्री प्रविन्द्र कुमार, उ0नि0 श्री प्रमोद यादव व उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना सैया जनपद आगरा।
09. है0का0 बीरेन्द्र सिंह, है0का0 आशीष शुक्ला, है0का0 सूर्य प्रताप सिंह, का0 विपिन कुमार, का0 लोकेश कुमार, का0 मुकुल शर्मा, का0 वसीम अकरम, का0 राकुल, का0 मानवेन्द्र उपाध्याय एसओजी टीम जनपद आगरा।
09. का0 रामभान सिंह, का0 ओमवीर सिंह थाना सैया जनपद आगरा।